न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/56

घांसी आयु 40 वर्ष आत्मज श्री चन्द्रा जाति माली निवासी ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नरसी लाल आयु 52 वर्ष आत्मज छीतर जाति माली ।
2. गोरधन आयु 62 वर्ष आत्मज श्री तेज्या जाति माली ।
3. भोलू आयु 52 वर्ष आत्मज श्री तेज्या जाति माली ।
4. घीसी आयु 82 वर्ष बेवा तेज्या जाति माली निवासीगण ग्राम सथूर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. जमना आयु 46 वर्ष पुत्री तेज्या निवासी सथूर हाल निवासी बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसील साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 की ओर से

निर्णय दिनांकः 05.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सथूर में आराजी खसरा नम्बर 2744 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2752 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 2753 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2773 रकबा 02 बिस्वा कै0मु0 चाह कुल 04 किता की कुल रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है ।

उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु वर्षों से रास्ता ग्राम सथूर से हरिपुरा जाने वाली पक्की सडक से उत्तरी साइड पर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2662 में बना हुआ है । इस पर होरक प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आते–जाते हैं लेकिन उक्त रास्ता सिवायचक भूमि में होने से अडोस पडोस के व्यक्ति आये दिन रास्ते में व्यवधान पैदा करते हैं तथा रास्ते की भूमि पर अतिचार कर रास्ते पर आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैं । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने खाते की भूमि पर आने–जाने हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 2662 में 15 फिट चौडो रास्ते की घोषणा करवा कर रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं । हरिपुरा जाने वाली पक्की सडक से उत्तरी दिशाा में प्रार्थीगण की भूमि स्थित है । प्रार्थीगण की भूमि के सहारे सखसरा नम्बर 2664 स्थित है । प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु हरिपुरा जाने वाली पक्की सडक से उत्तरी ओर स्थित खसरा नम्बर 2662 में दक्षिण से उत्तर की ओर 15 फिट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 2664 तक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की नक्शे में तरमीम की जावे । प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.03.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 2662 राजकीय सिवायचक में से दक्षिणी दिशा में 15 फिट चौडा रास्ता कुल रकबा 0.04 बीघा खसरा नम्बर 2664 तक प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार डीएलसी दर से दोगुनी राशि जमा करवाये जाने पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया एवं उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में राजस्थान राज्य की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है पटवारी रिपोर्ट ली जाकर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 के खाते की भूमि में आने–जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक ग्राम सथूर से चन्द्रभागा नदी की पुलिया पर होकर उत्तरी तरफ स्थित पुराना रास्ता मौजूद है और इसी रास्ते पर रेस्पोडेन्ट आते–जाते हैं । रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 2756 एवं खसरा नम्बर 2754 के पूर्वी तरफ भी आने–जाने का रास्ता बना हुआ है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 2662 पर गत 50 वर्षो से आबदी बसी हुई है और मकानात बने हुए हैं । यदि परीक्षण न्यायालय के निर्णय के अनुसार मौके पर रास्ता कायम कर दिया गया तो अपीलान्ट के मकान एवं बाडे के दो टुकडे हो जावेगे । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित करवा लिया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर न्यायालय

सिविल न्यायाधीश हिण्डोली में वाद प्रस्तुत कर रखा है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित करवा लिया है जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि विवादित भूमि में अपीलान्ट का कोई हक, स्वत्व नहीं है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे ।

7. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया । रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाते हुए सिविल न्यायालय में वाद पेश हुआ है । रेस्पोडेन्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होना बताया है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार होने का कथन किया । पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट्स से प्रकट होता है कि अपीलान्ट का विवादित खसरे के कुछ भाग पर कब्जा है । अतः ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि दिनांक 21.03.2022 को रेस्पोडेन्ट मौके पर प्रशासन को लेकर पहुंचा एंव अपीलान्ट के मकान गिराकर रास्ता निकालने पर आमादा हुए तब पहली बार अपीलान्ट परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.03.2021 की जानकारी प्राप्त हुई । इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर आने–जाने हेतु वर्षों से रास्ता ग्राम साथूर से हरिपुरा जाने वाली पक्की सडक से उत्तरी साईड पर सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2662 में बना हुआ है जिसे अडोस – पडोड के व्यक्ति आये दिन रास्ते में व्यवधान पैदा करते हैं तथा रास्ते की भूमि पर अतिचार कर रास्ते पर आवाजाही में बाधा उत्पन्न करते हैं । ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 2662 में 15 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवाकर रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं । परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नम्बर 2662 में से 15 फिट चौडा रास्ता कायम करने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया । परीक्षण न्यायालय में राजस्थान राज्य की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पटवारी रिपोर्ट ली जाकर भूमि खसरा नम्बर 2662 में 04 बिस्वा भूमि की डीएलसी दर से दोगुनी राशि जमा करवाकर रास्ता कायम किये जाने का

आदेश पारित किया है । खसरा नम्बर 2662 में अपीलान्ट का उसके पूर्वजों के समय से मकान बना हुआ है जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास करता है । रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 5 के खाते की भूमि में आने–जाने का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक ग्राम सथूर से चन्द्रभागा नदी की पुलिया पर होकर उत्तरी तरफ स्थित पुराना रास्ता मौजूद है और इसी रास्ते पर रेस्पोडेन्ट आते–जाते हैं । रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 2756 एवं खसरा नम्बर 2754 के पूर्वी तरफ भी आने–जाने का रास्ता बना हुआ है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 2662 पर अपना रास्ता प्रकट करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 33/2018 नरसीलाल बनाम घासीलाल वगै0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश हिण्डोली में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.05.2022 नियत है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय में पटवारी द्वारा दोहरी मौका रिपोर्ट पेश की गई हैं । सिविल न्यायालय में सुखाधिकार का प्रकरण जैरकार है ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है । अपीलान्ट अपने मकान व कब्जे का ग्राम पंचायत से नियमन करवाने का अधिकारी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1998 पेज 280, आरआरटी 2021 (2) पेज 1369, आरआरटी 2021 (1) पेज 330, आरआरटी 2021 (2) पेज 1286, आरआरटी 2021 (1) पेज 130, आरआरडी 2016 पेज 458, आरआरटी 2021 (2) पेज 1264 उद्धरत की ।

11. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने सिविल न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है । इस कारण राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । आरआरटी 2015 (2) पेज 1003 में अभिमत दिया है कि सिविल वाद पूर्व से पेश होने से धारा 251 (क) की कार्यवाही पर रोक नहीं है । अपीलान्ट द्वारा रास्ते में अवरोध करने का प्रयास करने तथा रास्ते पर आवाजाही में व्यवधान पैदा नहीं करने हु सुखाचार के आधार पर सिविल न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है । दोनों प्रकरणों का अनुतोष भिन्न–भिन्न है । सिविल वाद में रिकॉर्ड में रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता । रास्ते की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही दिया जा सकता है । अपीलान्ट द्वारा रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 2662 पर चाहा गया है जिसकी स्वामी राज्य सरकार जिसको परीक्षण न्यायालय में पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के मकान परिसर को छोडकर रास्ता दिया गया है । उक्त रास्ते से अपीलान्ट के मकान परिसर को कोई क्षति नहीं हो रही है । मकान की सीमा के बाहर रास्ता घोषित किया है । परीक्षण न्यायालय के आदेश पर कानूनगो पटवारी दिनांक 05.01.2021 को जरिये सूचना देकर पक्षकारों व स्वयं अपीलान्ट की मौजूदगी में मौके पर मौका रिपोर्ट तैयार की है । मौका रिपोर्ट नियम 69 की पूर्ण पालना करते हुए तैयार की है । मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट से भी साइन करने हेतु कहा गया था लेकिन अपीलान्ट ने साईन नहीं किये । अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि अवधि बाहर पेश की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 की पालना में रेस्पोडेन्टगण द्वारा राजकोष में राशि जमा करवा दी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जा चुका है । अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर मकान बना रखा है जिसका उक्त भूमि में कोइ हित–निहित नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने विधि अनुरूप नियमों की पालना कर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत है । प्रश्नगत अपील में धारा 96 का प्रार्थना पत्र

पोषनीय नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थ में आरआरटी 2015 (2) पेज 1003, डीएनजे 2020 (3) (एससी) पेज 993, डीएनजे 2022 (1) (एससी) पेज 346, डीएनजे 2016 (4) (राज0) पेज 1729, डीएनजे 2016 (1) पेज 201, आरआरटी 2021 (1) पेज 19, आरआरटी 2021 (1) पेज 246, आरआरटी 2020 (2) पेज 1078, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 118, आरआरटी 2016 (2) पेज 1149, आरआरटी 2019 (1) पेज 574, आरआरटी 2018–19 (सप्ली0) पेज 511 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

13. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 संलग्न है, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के पत्र दिनांक 23.03.2020, नरसीलाल द्वारा उपखण्ड अधिकार हिण्डोली के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति, फोटो प्रति नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" एवं फोटोग्राफ्स की फोटो प्रति पेश की गई हैं । रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज समस्त फोटो प्रतियाँ हैं । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर उक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे संतोषप्रद प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

15. अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने सुखाचार के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध सिविल न्यायालय में वाद कर रखा है । इस कारण राजस्व न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने आरआरटी 2021 (1) पेज 330 न्यायिक दृष्टांत पेश किया । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा रास्ते पर आवाजाही में व्यवधान पैदा नहीं करने हेतु सिविल न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है । दोनों प्रकरणों का अनुतोष भिन्न–भिन्न है । विधि अनुसार सिविल वाद में राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता । रास्ते की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही दिया जा सकता है । इस सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आरआरटी 2015 (2) पेज 1003 न्यायिक दृष्टांत पेश किया । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के

इस कथन से सहमत हैं कि माननीय सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय में प्राप्त किया जाने वाला अनुतोष भिन्न-भिन्न है तथा विषय-वस्तु में भी भिन्नता है । सिविल वाद पूर्व से पेश होने से धारा 251 (क) की कार्यवाही पर रोक नहीं है ।

16. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 05.01.2021 की मौका रिपोर्ट संलग्न है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने सिवायचक आराजी जिसमें से रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है उस पर अपना 50 वर्षों से मकान बना हुआ होना कथन किया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रश्नगत मकान 50 वर्ष पुराना सिद्ध हो । अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत का सरपंच के हस्ताक्षरशुदा एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलान्ट के पिता के समय से विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत का पत्र पेश किया है कि जिसके अनुसार अपीलान्ट का 3 से 4 वर्ष पुराना मकान होना बताया है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के विवादित मकान से रास्ता काफी दूर है । पत्रावली में नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रस्तुत किया है जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तावित रास्ते से अपीलान्ट के विवादित मकान को कोई नुकसान नहीं होगा । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्टगण के खाते की आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होना अंकित किया है । मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी नियम 69 के अनुसार पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर तीन गवाहान नरसीलाल पुत्र छीतर माली, धर्मराज पुत्र लक्ष्मीनारायण एंव पप्पूदीन पुत्र राजक के हस्ताक्षर हैं तथा अपीलान्ट धारी ने हस्ताक्षर नहीं करना अंकित किया है । अपीलान्ट ने सिवायचक आराजी पर पिछले 50 वर्षों से अतिक्रमी बताया है परन्तु कोई साक्ष्य अथवा राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के उक्त कथन से सहमत हैं कि यदि पुराना कब्जा हो तो कोई पी 14 खसरा परिवर्तनशील की कार्यवाही का दस्तावेज अपीलान्ट प्रस्तुत करते, ऐसा कोई दस्तावेज अपीलान्ट ने प्रस्तुत नहीं किया । चूँकि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2662 राजस्व रिकॉर्ड सिवायचक भूमि है । उक्त सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट के स्वत्व, हक वर्तमान में निर्धारित नहीं हैं । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट की स्थिति एक अतिक्रमी की है, इसके अलावा प्रस्तावित रास्ते से अपीलान्ट के अतिक्रमण के रूप में बनाये गये मकान को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा राशि जमा करवा दी गई है । अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

17. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.03.2021 बहाल रखा जाता है ।

18. निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा